न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा जिला–उदयपुर

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी (RAS)

प्रकरण संख्या:– 22/2018

दायर दिनांक–22.06.2018

1.श्री लालुराम पिता हुमा, जाति– बलाई, निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

2.श्री शंकरलाल पिता हुमा, जाति– बलाई, निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

3.श्री देवीलाल पिता हुमा, जाति– बलाई, निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

4. श्री बाबुलाल पिता हुमा, जाति– बलाई, निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

–वादीगण–

बनाम

1.श्री पुंजा पिता हकरा , जाति–बलाई, निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

2. श्री रमेश पिता पुजा , जाति –बलाई ,निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

3. श्री थावरा पिता पुंजा जाति –बलाई ,निवासी– बलाई फला बावलवाडा, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.

–प्रतिवादीगण–

<u>वाद बाबत् निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.टि.एक्ट</u>

उपस्थित : 1. श्री विवेक कंसारा , अधिवक्ता वादीगण।
2.श्री प्रकाश चन्द्र भणात अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनांक:–05/09/2024

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता एक वाद बाबत निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राज. कि एक्ट का पेश किया गया कि वादीगण एवं उसके भाई श्री रामलाल पिता हुमा जी बलाई जो रोजगार हेतु कुवैत में निवासरत है के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा बावलवाड़ा पटवार सर्कल बावलवाड़ा तहसील खेरवाडा में स्थित है जिसका विवरण निम्न है–

आराजी संख्या	रकबा	लगानी
197	0.02	–
201	0.07	0.08
920	0.09	0.52
921	0.10	0.58
922	0.10	0.58
924	0.08	0.46
1323	0.07	0.04
1324	0.03	0.03
1333	0.63	0.35 0.01

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

1335	0.22	0.12
1336	0.02	0.03
1337	0.04	0.15
1338	0.02	0.03
1339	0.05	0.19
1340	0.10	0.30
1341	0.02	0.03
1407	0.01	0.00
1408	0.11	0.03
1411	0.14	0.16
1462	0.02	0.03
1463	0.07	0.12
1464	0.05	0.09
2296	0.09	0.34
2298	0.04	0.12
2299	0.03	0.03

कुल किता 25 रकबा 2.22 हैक्टर लगानी 4.44 रूपया है।

उपरोक्त वर्णित आरजीयात में से आराजी संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टर जो कि रोड से लगी हुई पर वादीगण अपनी फसल, मवेशियों के लिए घास आदि रखने के काम में ले उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा वादीगण ने उक्त आरजीयात को थुअर की बाड से मेहदुद कर रखा है। दिनांक 19.04.2018 प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन ने जबरन आराजी संख्या 197 जो कि रोड से लगी हुई है पर अतिक्मण कर थुअर की बाड काट निर्माण सामग्री डालने लगे जिसकी जानकारी होने पर वादी संख्या 1 की पत्नी नाथी देवी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने गाली गलोज कर उनके साथ मारपीट करने लगे जिस पर पुलिस थाना बावलवाडा में रिर्पोट दर्ज कर कार्यवाही की जिस पर पुलिस थाने पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया परन्तु दिनांक 02.06.2018 को सुबह 9 बजे के लगभग प्रतिवादीगण ने पुनः अतिक्मण करने का प्रयास किया जिसका वादीगण ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ गालीगलोज कर मरने मारने को उतारू हो गये। उक्त आराजी संख्या 197 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है बावजुद इसके जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी संख्या 197 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण बदनियतिपूर्वक जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है, जिसे समुचित निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित है। वाद वर्णित आराजी संख्या 197 जो की वादीगण के संयुक्त पुश्तैनी कब्जे काश्त की है जिसका सभी संयुक्त खातेदार काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं इसलिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक है वे उक्त वर्णित आराजी संख्या 197 में या उसके किसी भाग पर अतिक्रमण का प्रयास नहीं करें, न किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाये, न वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करें न उक्त आरजी को खुर्दबुर्द करें, न वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न ही उसके स्वरूप में परिवर्तन करें , न किसी अन्य के हित सृजित करे। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की डिकी पारित फरमावेः–

अ. कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमवावे कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 197 पर या उसके किसी भाग पर अतिकमण का प्रयास नहीं करे,न किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाऐ, न वादीगण को बेदखल करे, न वादीगण के हिस्से की भूमि को खुर्दबुर्द करे, न वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, न ही उसके स्वरूप में परिवर्तन करे, न किसी अन्य के हित सृजित करे।

ब. कि इस आशय की आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी किये जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे यदि कोई निर्माण कार्य पूर्ण या आंशिक दौराने वाद कर भी लिया हो तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाये जाकर मौके की पूर्ववत स्थिति कायम की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया कि यह की वाद की कॉलम संख्या एक(1) में वर्णित कथन राजस्व रेकार्ड से संबंधित हो आराजी संख्या 197 रकबा 0.02 हैक्टर को छोड़कर दिगर तथ्य स्वीकार है। आराजी संख्या 197 रकबा 0.02 हैक्टर पर प्रतिवादीगण का पुश्तैनी रूप से काबिज होकर करीब 100 वर्ष से भी अधिक समय से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

र्विघ्न कब्जा काश्त एवं आधिपत्य चला आ रहा है। एवं यह पूर्वजों द्वारा आपसी सहमति से बटवारा किया जाकर
तिवादीगण के कब्जे काश्त अधिपत्य स्वामित्व की है। यद्यपि राजस्व रेकॉर्ड खसरा संख्या 197 वादीगण के नाम
जस्व रेकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। जिससे वादीगण द्वारा उक्त खसरा संख्या 197 प्रतिवादीगण के खाते कराने
को तैयार था परंतु अब कुछ लोगों के बहकावे में आने से वादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है। वादीगण अपने
वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्य को जानबूझकर छिपाया है जो दौराने साक्ष्य स्वतः ही साबित हो जायेगा।
वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में सह काश्तकार रामलाल जो आवश्यक पक्षकार है को वादपत्र में पक्षकार नहीं
बनाया गया है। इस प्रकार आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से यह वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के विधिक
प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है एवं न हीं सह काश्तकार रामलाल ने वादीगण को पेरवी हेतु अधिकृत किया
गया है। वाद पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित तथ्य पूर्णतया असत्य होकर अस्वीकार है। आराजी नंबर 197
रकबा 0.02 हेक्टर पर प्रतिवादीगण पुश्तैनी रूप से अपने बाप दादाओं के समय से निर्विघ्न काबिज हो स्वामित्व व
आधिपत्य में चली आ रही है एवं प्रतिवादीगण ही एक मात्र निर्विघ्न काबिज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है।
जिससे प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक व अधिकारी प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी हो
गये है। वादपत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित तथ्य आराजी नंबर 197 रकबा 0.02 हेक्टर जो रोड से लगी हुई है
बाबत कथन स्वीकार है। दिगर शेष कथन पूर्णतया मनगढ़ंत असत्य एवं आधारहीन होकर अस्वीकार है। प्रतिवादीगण
द्वारा ही उक्त आराजीयात की थुअर की बाड़ व मेडबंदी कर रखी है एवं प्रतिवादीगण ही काश्तकर फसल एवं
मवेशी के लिए घास आदि रखने के उपयोग में लेते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का मकान भी बना हुआ है जो छत
लेवल तक बना हुआ है एवं पानी का बोर कुआं भी खुदा हुआ है। एवं हाल ही में समतलीकरण भी प्रतिवादीगण
द्वारा वादीगण की जानकारी एवं निगरानी में किया गया है। एवं प्रतिवादीगण का ही पुश्तेनी कब्जा काश्त है जो
वादीगण की जानकारी में है। बावजुद वादीगण अपने वाद पत्र में सही तथ्यों को छुपाते हुए वेग आधारित मनगढ़ंत
एवं झूठे तथ्य अंकित कर न्यायालय को दिग्भ्रमित किया जा रहा है जिसका वादीगण को कोई कानुनी व हक
अधिकार नहीं है एवं झूठे कथन के आधार पर वादीगण को कोई भी दाद विधिवत तरीके से न्यायालय से नहीं मिल
रही सकती है एवं न हीं ऐसा करने का वादीगण अधिकारी है। वादपत्र की कालम संख्या 04 में वर्णित तथ्य भी
पूर्णतया सही नहीं होने से अस्वीकार होकर जवाब है कि इस कॉलम में वादीगण ने सही तथ्यों के छिपाते हुये
प्रतिवादीगण का आराजी संख्या 197 जो की रोड से लगी हुई है पर पुश्तैनी कब्जा स्वामित्व आधिपत्य होने के
बावजुद काल्पनिक दिनांक 19–04–2018 अंकित कर अतिक्रमण कर थुअर की बाड व निर्माण सामग्री डालने के
झुठे तथ्य अंकित किए गए है। जो पूर्णतया अस्वीकार है। आराजी संख्या 197 पर प्रतिवादीगण का मकान है एवं
उक्त आरजी रोड से लगी होने के कारण एवं राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण का नाम रह जाने से अब वादीगण जबरन
हथियाना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज भू अभिलेख आराजी संख्या 196 रकबा 0.
3100 हैक्टर जो प्रतिवादीगण पुंजा व अन्य सह काश्तकार होमा, मोतीलाल, काना पिता हकरा बलाई के नाम संयुक्त
रूप से दर्ज भू अभिलेख होकर खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी संख्या 196 का जूझ हिस्सा करीब 0.07
हेक्टर भूमि वादीगण व अन्य रामलाल आदि के कब्जे में अनाधिकृत रूप से चला आ रहा है। जिससे वादीगण
प्रतिवादीगण के कब्जे के आराजी संख्या 197 के मुकाबले दोनों पक्षकार समान वर्ग के खातेदार होकर भूमि की
अदला बदली करने को भी तैयार हो गए थे एवं एक आवेदन तहसीलदार खेरवाड़ा के समक्ष दिनांक 17–04–2018
को पेश किया गया था। जिससे दोनों पक्षों में उक्त आरजीयात 196/197 के विवाद को हमेशा के लिए समाप्त
किया जा सके परंतु वादीगण आराजी संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टर रोड के किनारे होने से उनके मन में दुर्भावना
आ गई है। जिससे आराजी संख्या 196 व 197 की अदला बदली आपसी सहमति से नहीं हो सकी है जबकि मौके
पर हल्का पटवारी और निरक्षक से मौका निरक्षण करा दिया गया है। खसरा संख्या 196 रकबा 0.3100 हेक्टर के
झुझ हिस्से पर करीब 0.07 हेक्टर पर वादीगण बाबुलाल, देवीलाल और रामलाल दो दो मकान बना लिए हैं एवं शेष
भूखंड पर काश्तकार अवैद्य अतिक्रमण लगातार जारी रखे हुए हैं। जिसे हटाने के लिए भी प्रतिवादीगण ने कहा है
परंतु वह प्रतिवादीगण पुंजा अन्य सह काश्तकार के खातेदारी स्वामित्व की आराजीयात खसरा संख्या 196 पर अवैद्य
अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं हो रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण व अन्य सह काश्तकार खातेदार की ओर से
वादीगण के विरुद्ध अवैद्य मकानात को ध्वस्त कर बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रतिदावा भी वादपत्र के जवाब
दावे के साथ पेश करना आवश्यक हुआ है। इस कॉलम में अंकित दिनांक 02–06–2018 को सुबह 09:00 बजे के
लगभग प्रतिवादीगण के पुन अतिक्रमण करने का प्रयास किया कथन भी असत्य होकर अस्वीकार है बल्कि वादीगण
स्वयं मां बहनों की गालियां देकर मरने मारने पर उतारू हो प्रतिवादीगण के शांतिपूर्ण पुश्तैनी कब्जे काश्त को
जबरन अवैद्य रूप से बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं। जिसका वादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये
प्रतिवादिगण के पुश्तैनी निर्विघ्न कब्जे काश्त से बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं इस कब्जे पर
इस कब्जे के अभाव में वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की दाद भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्राप्त करने के कानून
अधिकार नहीं है। वादपत्र की कालम संख्या 05 में वर्णित तथ्य पूर्णतः असत्य होने से अस्वीकार होकर जवाब है की
आराजी नंबर 197 पर प्रतिवादीगण पुश्तेनी रूप से निर्विघ्न लगातार काबिज काश्त हो प्रतिवादीगण के स्वामित्व,
आधिपत्य में ही चला आ रहा है एवं प्रतिवादिगण ही वेधानिक रूप से उक्त भुखण्ड आराजी नंबर 197 का उपयोग
उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। एवं प्रतिवादीगण का आराजी नंबर 197 में विघ्न पैदा करने का वादीगण को कानुनी
हक व अधिकार इस स्टेज पर प्राप्त नहीं है। वाद पत्र की कालम संख्या 06 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होकर जवाब
है कि वादीगण आराजी नंबर 197 पर शुरू से आज तक किसी प्रकार का कोई मौके पर कब्जा स्वामित्व, आधिपत्य
नहीं रहा है एवं न हीं होने से कब्जे के अभाव में कानुनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही
है एवं प्रतिवादीगण निर्विघ्न पुश्तैनी रूप से काबिज हो प्रतिकूल कब्जे के आधार से खातेदारी हक प्राप्त करने के
कानुनन अधिकारी हो गये है।अतएव प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण अपने वाद पत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
प्रटयपर (राज.)

चाही गई दांद कानुनन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से चाही गई दाद लगायत अ,ब,स सव्यय खारिज फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा डिक्री फरमाया जावे।
के अतिरिक्त प्रतिवादीगण व अन्य की ओर से विरूद्ध वादीगण व अन्य के एक प्रतिदावा वादग्रस्त आराजी व अन्य आराजी के संबंध में पेश किया गया है। जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मोजा बावलवाडा पटवार हल्का बावलवाडा, तहसील खैरवाडा, जिला–उदयपुर(राज0) में स्थित आराजी संख्या 196 रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म मगरी द्वितीय लगानी 0.09 पैसा खाता संख्या नया 223 पुराना 196 वर्णित अन्य आराजीयात के साथ वादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। जिसका प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है। कालम संख्या 1 वर्णित आराजी वादग्रस्त प्रति वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित खसरा संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टर से लगी हुई है जिस पर पुश्तने रूप से वादीगण काबिज काश्त हो एकमात्र उनके स्वामित्व व अधिपत्य में चली आ रही है एवं पारिवारिक आपसी सहमति से पूर्वजों द्वारा किए गए बंटवारे के अनुरूप वादीगण खसरा संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टर पर आपसी सहमति से वादी संख्या 01 वर्तमान में काबिज काश्त हो अपना आवासीय मकान बना रहे हैं। खसरा संख्या 196 रकबा 0.3100 हेक्टर पर प्रतिवादीगण बाबूलाल,रामलाल, देवीलाल द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर दो दो मकान का निर्माण कर लिया गया है एवं सभी प्रतिवादीगण लगातार अतिक्रमण जारी रखे हुए हैं मौके पर वादीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयाज खसरा संख्या 196 रकबा 0.3100 हेक्टेयर में से करीब 0.07 हेक्टर भूमि पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण के साथ काश्त, बुवाई कर अतिक्रमण जारी रखने से वादीगण द्वारा विरोध करने पर वादीगण को प्रतिवादीगण डरा धमका कर पुश्तेनी बंटवारा अनुरूप वादीगण के हिस्से में आया वादग्रस्त खसरा संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टर से हटाने की धमकी देकर न्यायालय को दिग्भ्रमित कर झूठे तथ्य पर आधारित प्रतिवादीगण द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है एवं वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टेर पर प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्ष से अधिक समय से आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं होने के बावजूद मौके पर भौतिक कब्जा काश्त वादीगण का होने के बावजूद प्रतिवादीगण अविधिक तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे वह न्यायालय के आदेश का दुरुपयोग कर वादीगण को उनके कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात खसरा सं . 197 रकबा 0.02 हेक्टर से बेदखल कर सके । वादग्रस्त कृषि आराजीयात एंव प्रतिदावा वर्णित कृषि आराजीयात एक ही जगह एंव समान पक्षकार के मध्य स्थित हो माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतएव प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण की और से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न् आशय की डिक्री फरमाई जावे।

(1) कि वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 196 रकबा 0.3100 हेक्टर के जुझ हिस्से पर अवैद्य रूप से निर्मित मकान को आज्ञापक निषेधाज्ञा के जरिये ध्वस्त कर पूर्व की स्थिति प्रतिवादीगण के खर्चे से कायम किए जाने की डिक्री प्रदान करावें।

(2)वादग्रस्त खसरा संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टर पर वादीगण का पुश्तेनी पारिवारिक कब्जा काश्त होकर निर्विघ्न प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री पारित की जावे।

(3)कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 196 रकबा 0.3100 एवं वादीगण के कब्जेशुदा खसरा संख्या 197.02 हेक्टर के किसी भी जुझ हिस्से पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें शांतिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में विघ्न पैदा नहीं करे।

प्रतिवादीगण व अन्य द्वारा पेश प्रतिदावा का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिदावा में मूल वाद के पक्षकारों में से कुछ को हटा दिया गया तथा कुछ नए पक्षकार शामिल करते हुए मूल वाद के अनवान को पूर्णतया बदलते हुए वादग्रस्त आराजी के साथ अन्य आराजी को शामिल कर प्रतिदावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण व अन्य द्वारा पेश प्रतिदावा मूल वाद के प्रतिदावा की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि प्रतिदावे के पक्षकार व मूल दावे के पक्षकार एक समान नहीं है तथा न ही प्रतिदावा की वादग्रस्त आराजी व मूल वाद की आराजी एक समान है। ऐंसी स्थिति में प्रतिवादीगण को व अन्य को नया दावा पेश करना चाहिए था। अतः प्रतिवादीगण व अन्य द्वारा पेश प्रतिदावा खारिज किया जाता है।

वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

(1) तनकी–1– आया कि वादीगण के खाते की कृषि भूमि है। वादीगण आराजी संख्या 197 पर स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है।

(2) तनकी–2– आया कि वादी के वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार निर्माण कार्य नही करे

(3) तनकी–3– आया कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में प्रतिवादीगण निर्विघ्न पूश्तेनी रूप से काबिज हो प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी है।

(4) तनकी–4–आया कि प्रतिवादीगण के खाते मे ख. स. 196 दर्ज है। प्रतिवादीगण ख.स.196 पर स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है।

वादीगण की ओर से वादी लालूराम का साक्ष्य शपथ पर (pw-1) व साक्ष्य दस्तावेज **(प्रदर्श–1 से प्रदर्श–11)** पेश किए गए। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश न करने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का विवेचन निम्नानुसार है–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

तनकी–1 आया कि वादीगण के खाते की कृषि भुमि है। वादीगण आराजी संख्या 197 पर स्थाई निषेधाज्ञा का धिकारी है।

के वादीगण की ओर से पेश ग्राम बावलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2072 खाता संख्या 406 के अनुसार दग्रस्त आराजी खसरा संख्या 197 (प्रदर्श .1व प्रदर्श 8, प्रदर्श 9) वादीगण की खातेदारी की भूमि है। मौका पर्चा –अभिलेख वृत्त खैरवाडा (प्रदर्श–2) के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजी का सीमा ज्ञान कराया गया। भू बंध विभाग के तुलनात्मक (प्रदर्श–3) के अनुसार खसरा सं.197 के पुराने खसरा सं.164 थे। जमाबन्दी संवत 2026 ी 2029 (प्रदर्श–6) के अनुसार खसरा स.164 वादीगण के पूर्वज हुमा पिता अलखा के नाम की खातेदारी दर्ज थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी आराजी है तथा वादीगण के वादपत्र मय शपथ पत्र व वादी लालुराम के साक्ष्य शपथ–पत्र(PW-1) के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य –सबूत पेश नही किए गए। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

(2) तनकी–2आया कि वादी के वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार निर्माण कार्य नही करे।

चुंकि तनकी संख्या 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगणकी खातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को इस आरजी पर निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

(3) तनकी–3.आया कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में प्रतिवादीगण निर्विघ्न पूश्तेनी रूप से काबिज हो प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी है।

चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रतिदावा मूलवाद के पक्षकारो से असमान पक्षकार बनाते हुए पेश किए जाने से खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है

(4) तनकी–4 आया कि प्रतिवादीगण के खाते मे ख. स. 196 दर्ज है। प्रतिवादीगण ख.स.196 पर स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है।

चुंकि तनकी संख्या 3 के अनुसार प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज हो चुका है । ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत कि जाती है ।

उपर्युक्त तनकी वार विवेचन के आलोक में वादीगण का वाद स्वीकार/मंजूर किया जाना उचित प्रतित होता है ।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण की और से पेश वाद बाबत् निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है । वाद पत्र में वर्णित ग्राम बावलवाडा में स्थित आराजी खसरा संख्या 197 रकबा 0.02 हेक्टयर के संबंध में वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशयकी स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवदीगण उक्त आराजी के वादीगण के उपयोग– उपभोग में कोई दखलंदाजी न करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनाकं 05.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जिला– उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner